पंचायतीराज व्यवस्था में संचार साधनो की भूमिका का एक अध्ययन– राजस्थान के जयपुर जिले के सन्दर्भ में

''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ''

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर

को पीएच.डी. की उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध–प्रारूप

निर्देशक

जेवीएन (डॉ.) संजय बुन्देला
प्रोफेसर
मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग
फैकल्टी ऑफ़ एजुकेशन एण्ड मेथोडोलॉजी

शोधार्थी

जेवीएन रवि कुमार मेहता
JVR-I/17/10002

मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग
फैकल्टी ऑफ़ एजुकेशन एण्ड मेथोडोलॉजी
ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान) भारत

2017

प्रस्तावना

ग्रामीण विकास में मीडिया की भूमिका के विषय में तर्कसंगत अध्ययन से पूर्व सर्वप्रथम विकास की विशेषकर 'ग्रामीण विकास' की अवधारणा एवं संरचना को समझना नितांत आवश्यक है। तकनीकी शब्दों में विकास का तात्पर्य किसी भी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था में गुणात्मक एवं संस्थागत परिवर्तन से होता है। विकास की तुलना में वृद्धि का तात्पर्य एवं सकल राष्ट्रीय उत्पादन में मात्रात्मक परिवर्तन से होता है। किसी भी राष्ट्र का विकास वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था से प्रत्यक्षतः प्रभावित होता है। राजनीतिक व्यवस्था ही किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, सामाजिकता, शैक्षणिक स्तर को परिवर्तित करती है। विकास के अन्तर्गत व्यक्तियों की मनोवृतियों में परिवर्तन होता है, उनके मनोभावों और शैक्षणिक तकनीक में परिवर्तन होता है।

विकास का दूसरा पक्ष जो भारत जैसे विकासशील देश के लिए आवश्यक है वह है उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन एवं मानव संसाधनों को समुचित रोजगार उपलब्ध कराना। विकास के लिए सामाजिक जीवन में नागरिकता के उचित गुणों का विकास करना भी परमावश्यक है। इसमें समाज का संगठनात्मक ढ़ांचा, जाति, वर्ग, भाषा और धर्म सम्मिलित किए जाते है। आर्थिक वृद्धि अथवा विकास से चिकित्सालय, शिक्षण संस्थाऐं, बैंकिंग सुविधा, परिवहन, भण्डारण आदि सुविधाओं की उपलब्धता से आंका जाता है।

ग्रामीण विकास

ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि सामाजिक न्याय व समन्वित तथा संतुलित विकास के मार्ग का अनुसरण किया जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकास हेतु अपनायी गई योजना प्रक्रिया के अन्तर्गत ग्रामीण गरीबों की गरीबी के उन्मूलन के उद्देश्य को अत्यंत प्राथमिकता के आधार पर पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों में शामिल किया जाता रहा है किंतु उनसे अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाई। ग्रामीण विकास को लोग भ्रमपूर्वक कृषि विकास ही समझ बैठते है। कृषि ग्रामीण विकास का आधार है परंतु एक सीमा तक औद्योगिक विकास भी इसी पर निर्भर करता है। ग्रामीण विकास कृषि विकास से अत्यंत व्यापक विषय है। ग्रामीण विकास के अन्तर्गत कई क्षेत्र जैसे आधारभूत सुविधाओं का विकास, कुटीर व लघु उद्योग धंधों का विकास, विनिमय, वितरण, उत्पादन एवं बाजार व्यवस्था आदि को भी विकसित किया जाता है, जो कि ग्रामीण विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते है।

ग्रामीण विकास कोई नवीन अवधारणा नहीं है। महान कवि रवीन्द्र नाथ टैगोर ने सर्वप्रथम शांति निकेतन के माध्यम से गांवों के विकास हेतु योजनाबद्ध कार्यक्रम का सूत्रपात किया था।[1] 'ग्रामीण' शब्द का तात्पर्य है कि गैर शहरी ढंग से रहन–सहन का जीवन स्तर, पेशागत एवं व्यावसायिक संरचना, सामाजिक संगठन एवं ग्रामीण प्रणाली तथा गांव के ढंग से समायोजन, ग्रामीण परिवेश का रहन सहन, भवनों आदि की बनावट, सामाजिक रूप से सभी समुदाय आपस में जुड़कर अन्तर्संबंधित होकर सहनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। ग्रामीण क्षेत्रों की पहचान न केवल सैद्धांतिक रूप से बल्कि व्यवहारिक रूप से भी शहरी क्षेत्रों से अलग रूप में सामान्य तौर पर की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी निवासी आपस में मानवीयता एवं

[1] अरोडा, आर.सी., ''इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 1995, पृ. 87–88

मानवधर्म से एक दूसरे से पूर्णतः सहसंबंधित होते है। ग्रामीण विकास एक अत्यंत व्यापक विचार है। इसके अन्तर्गत मानव जीवन तथा उनकी गतिविधियों से संबंधित विविध तत्वों का सम्मिश्रण है। इसे व्यापक रूप से निम्नलिखित तत्वों एवं दिशा निर्देशों में विभक्त करके स्पष्ट समझा जा सकता है।

ग्रामीण विकास की प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के जीवन स्तर प्रतिमानों में बदलाव लाने वाली विस्तृत प्रघटना है जिसका विस्तृत आधार व व्यापक क्षेत्र है। ग्रामीण विकास की विभिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्न समाज वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों द्वारा परिभाषाएँ दी गयी हैं जिनमें –

वर्ल्ड बैंक ने ग्रामीण विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है– ग्रामीण विकास ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीब लोग विशेषतः छोटे एवं सीमान्त कृषक, भूमिहीन व मजदूर वर्ग की आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को ऊँचा उठाने में काम लेने वाली एक व्यूह रचना है।[2]

राबर्ट चेम्बर्स के अनुसार – एक विशेष समूह को विशेषतः ग्रामीण गरीब महिलाओं, कमजोर एवं पिछड़े वर्गों को सामर्थ्यवान एवं सबल बनाने हेतु जो सामयिकी अपनाई जाती है जिसमें जीवन जीने के लिये आवश्यक साधन एवं लाभ पहुँचाने हेतु ग्रामीण विकास प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।[3]

एस. मिन्जर के अनुसार – ग्रामीण विकास एक प्रक्रिया के रूप में परम्परागत अभिमुखित सांस्कृतिक बदलाव से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से एवं अनुकूलन से आने वाला परिवर्तन है।[4]

लेले के अनुसार – ग्रामीण विकास ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले जनसंख्या के जीवन–स्तर प्रतिमानों में अपेक्षित बदलाव विशेषतः गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को इस प्रक्रिया में सामर्थ्यवान बनाना है।[5]

एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिकी महाद्वीप के विकासशील राष्ट्रों में ग्रामीण विकास की अवधारणा तेजी से उभरी है। वहीं यह राष्ट्रीय विकास नीतियों का अंग बनी है। विकसित राष्ट्र भी ग्रामीण विकास की महत्ता को पहचानते हैं तथा विकासशील राष्ट्रों की गरीब जनता, पिछड़े क्षेत्रों व वंचित वर्गों के लिये इसे सर्वोत्तम सामयिकी बताते हैं। विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ व अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन विकासशील देशों में गरीबों के कल्याण और उत्पादकता के लिये विशेष तौर पर ग्रामीण विकास की अवधारणा को महत्वपूर्ण उपागम मानते हैं। पूर्व में ग्रामीण विकास से तात्पर्य कृषि क्षेत्र में विकास के समानान्तर माना जाने लगा है। हाल ही के कुछ दशकों में ग्रामीण विकास को राष्ट्रीय विकास के परिदृश्य पर विस्तृत अनुसंधानात्मक अवधारणा के रूप में देखा व समझा जाने लगा है।

राजस्थान में ग्रामीण विकास कार्यक्रम –

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता की गरीबी, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु सुदृढ़ ढ़ांचागत विकास, अधिक से अधिक रोजगार का सृजन, अधिकाधिक विनियोजन तथा ग्रामीण

---

[2] वर्ल्ड बैंक, ''पॉवर्टी रिडक्शन हैण्डबुक'', वाशिंगटन, 1992, पृ. 412–414

[3] चेम्बर्स, रॉबर्ट, ''रूरल डवलपमेंट : पुटिग द लास्ट फर्स्ट'', लॉगमेन पब्लिकेशन, लंदन, 1983, पृ. 11

[4] मिन्जर, एस.डी., ''रूरल डवलमेंट : वाट इज इट'' पेपर प्रजेन्टेड इन ईस्ट वेस्ट सेन्टर्स कॉन्फ्रेन्स ऑन इंटिग्रेटेड कम्यूनिकेशन फॉर रूरल डवलपमेंट, होनालुलु, 1975, पृ. 17

[5] लेले, उमा, ''द डिजायन ऑफ रूरल डवलपमेंट : लेसन्स फॉर अमेरिका'' जॉन हॉपकिन्स पब्लिकेशन, बाल्टीमोर, 1975, पृ. 24

विषमता को दूर कर कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को बेहतर बनाना है। राजस्थान जैसे भौगोलिक विषमताओं वाले प्रदेश में जहाँ की आबादी का सामाजिक आर्थिक विकास का सूचकांक काफी कम माना जाता है। साक्षरता की निम्न दर, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, बालिका शिक्षा में अत्याधिक कमी, महिलाओं का अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव आदि सामाजिक निम्नता के सूचकांक है वहीं आधारभूत सुविधाओं का अभाव, कृषि की मौसम पर निर्भरता, उद्योग–धंधों का अभाव व कुटीर उद्योगों का हास, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधनों का अभाव आदि ने राजस्थान प्रदेश को बीमारू प्रदेश में सम्मिलित कर रखा है। इसके ग्रामीण क्षेत्रों में तो आज भी विकास की काफी संभावनाएं देखी जाती हैं। इन विषमताओं को दूर कर सम आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति व नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा 25 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है । वहीं कमजोर व पिछड़े वर्गों, महिलाओं व बालकों के लिये ग्राम पंचायतों व स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से अनेक ग्रामीण विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

उपलब्ध साहित्य समीक्षा

- **गौतम, सुरेश और वीणा, 'हिन्दी पत्रकारिता कल आज और कल', अलंकार पब्लिकेशन, लखनऊ, 2010** ने विकास में सामाजिक आर्थिक और नैतिक बातों को नहीं शामिल किया गया है।
  विकास के मूल तत्व निम्नलिखित हैं –

  1. असमानता व निर्धनता का उन्मूलन
  2. लोगों के भौतिक कल्याण में वृद्धि
  3. सामाजिक स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, कल्याण आदि में वृद्धि
  4. एक क्षेत्र या देश में विभिन्न जन समूहों के बीच विकास के लाभों का न्यायोचित वितरण
  5. प्रौद्योगिकी में प्रगति व जीवन स्तर में सुधार के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं व सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि और
  6. ऐसे सस्थांगत ढांचे का निर्माण करना जिसमें निर्णय लेने के सभी स्तरों के योगदान की अनुमति हो, विकास के लिये सबको समान अवसर प्राप्त हों तथा असामानताऐं दूर हों।[6]

- **डॉ. चन्द्रप्रकाश मिश्र 'मीडिया लेखन : सिद्धान्त और व्यवहार', सागे पब्लिकेशन, दिल्ली, 2012** में भारत में पंचायती राज के वास्तविक तस्वीर को पेश किया है। उन्होंने बताया कि यह अलग बात है कि योजना निर्माण से जुड़े लोग इस बात से खुश हैं कि यह भारतीय गांवों को विकास पथ पर स्थापित करने में पूर्ण सफल है लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। आज भी देश में ऐसे गांवों की कमी नहीं जिन्हें बुनियादी आव यकताओं के लिए तरसना पड़ रहा है जबकि देश को स्वतंत्र हुए छः दशक से भी अधिक गुजर गये।[7]

---

[6] गौतम, सुरेश, वीणा, हिन्दी पत्रकारिता कल, आज और कल, अलंकार पब्लिकेशन, लखनऊ, 2010, पृ. 79

[7] मिश्र, चन्द्रप्रकाश, मीडिया लेखन : सिद्धान्त और व्यवहार,, सागे पब्लिकेशन, दिल्ली, 2012, पृ. 35–36

- **डॉ. जेम्स एस. मूर्ति, 'संचार सिद्धांत की रूपरेखा' चौखम्भा पब्लिकेशन, हरिद्वार, 2013** में इन्होंने टिप्पणी की है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाय तो हम पायेंगे कि गरीबी, निरक्षरता और अंधवि वास की समस्याओं से घिरे हैं। संचार के क्षेत्र में हुई सफलता संचार क्रान्ति एवं नव विश्व सूचना तथा संचार व्यवस्था के बारे में हम दुनिया को बता सकते हैं परन्तु वास्तव में हमारी सामाजिक संरचना इतनी जटिल है कि अत्याधुनिक तकनीकों के मार्ग में अनेक बाधायें पैदा हो जाती हैं।[8]
- **डॉ. भयाम सिंह भाशि, 'मास मीडिया एण्ड डेवलपमेन्ट', साहित्यगार, जयपुर, 2013** का मानना है कि भारत सरकार ने सभी महत्वपूर्ण विभागों के गतिविधियों की जानकारी जन साधारण तक पहुँचाने के लिए बहुत सी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहा है जो हर दृश्टि से आम आदमी को सूचनाओं से लैश करने में सफल सिद्ध हो रही हैं।[9]
- **नोरा सी. क्यूब्रेल, 'मीडिया एण्ड डेवलपमेंट', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन, 2012** में बताया गया कि ''विकास संचार एक वृत्तीय प्रक्रिया है न कि रेखीय। इस प्रक्रिया में संदेश के उपयोगकर्ता उतने ही सक्रिय, जागरूक, क्रियाशील हैं जितने कि स्रोत और संचार प्रक्रिया के अभाव। विकास संचार का उद्देश य मात्र सूचनाओं का प्रचार प्रसार करना ही नहीं अपितु इस प्रक्रिया में सूचनाओं की ग्राहयता, पर्याप्त और सार्थक उपभोग को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। संचार माध्यमों के उपभोगकर्ता संचार प्रक्रिया में एक श्रोता होने की अपेक्षा सहभागी की भूमिका करना चाहिए।''[10]
- **अंजलि पहाद, 'सामाजिक विकास और मीडिया', अनामिका पब्लिकेशसन, दिल्ली, 2012।** इस अध्ययन के निश्कर्शों के आधार पर कहा कि, ''यदि लोगों के जीवन में सामाजिक बदलाव लाने के लिए संचार का सही मायने में उपयोग करना है तो उसका आधार समुदाय की मान्यताओं और मूल्यों पर टिका होना चाहिए। साथ ही वह सम्माननीय और विश्वसनीय होना चाहिए। लोक संचार माध्यम उपरोक्त मापदण्डों पर खरे उतरते हैं।''[11]
- **सोढ़ी, 'लोक संचार और विकास', सागे पब्लिकेशन, दिल्ली, 2014।** इस अध्ययन के अनुसार, ''लोक संचार में शिक्षा के बिल्कुल अलग मायने हैं। खुशी तथा गमपूर्वक विचारों और उम्मीदों तथा प्यार और प्रमोद के सहारे हम अपने आप को देखते हैं और पहचानते हैं अपनी कमजोरियां। तब शिक्षा ज्ञान अर्पित करने का माध्यम नजर आती है, कुछ पा लेने का जरिया नहीं।''[12]
- **देवदास, लोक माध्यम और विकास', हंस पब्लिकेशन, हैदराबाद, 2015।** इस अध्ययन में प्रभावशाली संचार के लिए लोक माध्यमों के उपयोग पर बल दिया है। उनके अनुसार, ''गृह विज्ञान पढ़ाने के लिए माध्यमिक स्कूलों में अनेक परंपरागत तरीके इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। इनमें कथा, वाचन, लोकगीत और नृत्यों में असाधारण क्षमता है क्योंकि उनके द्वारा बहुत रुचिकर और प्रभावशाली तरीके से साक्षरता को बढ़ाया जा सकता है।''[13]
- **झाँली रेखा, 'जनसंचार माध्यामों की उपयोगिता', अनामिका प्रकाशन, दिल्ली, 2016।** इनके अध्ययन के निश्कर्शानुसार, ''प्राचीन भारत में मूर्ति का प्रयोग संवेदना तथा प्रभाविता के लिए किया जाता

---

[8] मूर्ति, एस., संचार सिद्धांत की रूपरेखा, चौखम्भा पब्लिकेशन, हरिद्वार, 2013, पृ. 99
[9] सिंह, श्याम, मास मीडिया एण्ड नेशनल डेवलपमेंट, साहित्यगार पब्लिकेशन, जयपुर, 2013, पृ. 56
[10] नोरा सी. क्यूब्रेल, मीडिया एण्ड डवेलपमेंट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, 2012, पृ. 87
[11] अंजलि पहाद, 'सामाजिक विकास और मीडिया', अनामिका पब्लिकेशसन, दिल्ली, 2012, पृ. 14
[12] सोढ़ी, 'लोक संचार और विकास', सागे पब्लिकेशन, दिल्ली, 2014, पृ. 26
[13] देवदास, लोक माध्यम और विकास', हंस पब्लिकेशन, हैदराबाद, 2015, पृ. 45

था। लोक माध्यम सिर्फ आनन्द अथवा मनोरंजन के लिए नहीं थे वरन् उनका उद्देश्य एवं महत्व एक संचार माध्यम के रूप में था। लोक माध्यमों का सामाजिक सरोकार एवं सांस्कृतिक प्रभाव अनुकरणीय है।''[14]

- **एस. एल. शर्मा, 'विकास समाजशास्त्र' रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2010** के मतानुसार विकास की जो अवधारणा वर्तमान में अस्तित्व में है उसमें कुछ अधूरापन है। उनके अनुसार विकास के अर्थ, पदार्थ और भौतिक आयाम का अधिक महत्व है जबकि सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों को कम महत्व दिया जाता है। शर्मा ने विकास की पाँच भिन्न परिभाषाएं दी हैं –

1. पूर्व समाज विज्ञान विकास की धारणा को सामाजिक विकास के रूप में दर्शाता है मतलब यह सामाजिक महत्व के क्षमता और पैमाने (माप) को बढ़ाता है।
2. पश्चिमी विकास सिद्धान्त कुल राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में आर्थिक वृद्धि पर केन्द्रित हैं।
3. मैक्स के आलोचक विकास के कुल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि प्रारूप पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि इसमें वितरण के महत्व का अभाव है।
4. मानव की मूलभूत आवश्यकता से सरोकार रखने वाले लोग भी कुल राष्ट्रीय उत्पाद प्रारूप की आवश्यकताओं को पहुँचाकर अपेक्षा को बढाने पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।
5. इसमें विकास को शोषण से मुक्ति और आश्रित से स्वतंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है।[15]

- **एम. बी. देसाई, 'कम्युनिके ान पॉलिसीज इन इण्डिया', कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2014।** इसमें स्पश्ट रूप से लिखा है कि लोक माध्यम सामाजिक गुणों, संवेदनाओं, विचारों और अन्तर्सम्बन्धों इत्यादि को अभिव्यक्त करते थे। वस्तुतः लोक माध्यम संचार का उद्दे य व्यावसायिक न होकर मनोरंजन और सम्प्रेशण का था और वह पूजा की पद्धति से जुड़ा था। यह सामाजिक गतिविधियों से सम्बद्ध था तथा समाज को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। सामाजिक दायित्व और एकता की स्थापना में परम्परागत और लोक संचार माध्यमों का योगदान अभूतपूर्व रहा है।[16]
- **श्राम, 'मीडिया पॉलिटिक्स', अनामिका प्रकाशन, दिल्ली, 2016।** इस अध्ययन में इस बात पर बल दिया है कि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए संचार माध्यमों का स्वरूप जितना स्थानीय हो सके उतना बेहतर है। कार्यक्रमों की उत्पत्ति उसके श्रोताओं के बीच से ही होनी चाहिए और वे उन लोगों द्वारा तैयार किये जाने चाहिए जिन्हें उस संस्कृति की समझ हो, जिससे उन्हें संवाद करना है।[17]
- **यूनेस्को की रिपोर्ट, 2012** में कहा गया है कि, ''लोक व पारंपरिक माध्यम व्यवहारिक परिवर्तन लाने और निचले स्तर पर विभिन्न समुदाय को समकालीन मुद्दों के प्रति जागरूक बनाने में जीवंत भूमिका निभाते हैं।'' रिपोर्ट में आधुनिक संचार माध्यमों की प्रभाविता को इस प्रकार वर्णित किया गया है–

''जनमाध्यम तथा परम्परागत माध्यम दोनों ने संचार की अपनी–अपनी भौलियों एवं अपने–अपने तरीकों को विकसित किया है और एक तरफ यदि जनमाध्यम लोक कलाकार के लिए विशाल दर्शक

---

[14] झाँली रेखा, 'जनसंचार माध्यामों की उपयोगिता', अनामिका प्रकाशन, दिल्ली, 2016, पृ. 49
[15] शर्मा, एस.एल., विकास समाजशास्त्र, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2010, पृ. 19
[16] एम. बी. देसाई 'कम्युनिके ान पॉलिसीज इन इण्डिया', कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, 2014, पृ. 89
[17] श्राम, मीडिया पॉलिटिक्स, अनामिका प्रकाशन, दिल्ली, 2016, पृ. 89

समूह जुटा सकते हैं तो दूसरी ओर पारम्परिक माध्यम जनमाध्यमों की विशय बस्तु को समृद्ध करने के साथ–साथ उनमें व्यापक विविधता ला सकते हैं।''[18]

- **अर्जुन तिवारी, 'जनसंचार और पत्रकारिता', विजया प्रकाशन, दिल्ली, 2016।** इसमें उल्लेखित किया गया है कि संचार द्वारा सामूहिक क्षमता का विकास होता है। विकास के लिए न्याय और व्यवस्था का वातावरण अपेक्षित है जो संचार साधनों से सुलभ हो सकता है। नियोजन निपुणता और मानवीय संबंधों का प्रबंध विकास के लिए अपरिहार्य है। विकास के प्रत्येक क्षेत्र में अग्रगामी और पूरक भूमिकाओं के निर्वहन द्वारा संचार साधन अनुकूल वातावरण बनाते हैं तथा योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायक सिद्ध होते हैं।[19]
- **मैकब्राइड, 'मीडिया एण्ड फोक मीडियम', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन, 2016।** इसमें उल्लेखित किया गया है कि ''संचार की कोई प्रक्रिया तब तक पूरी नही हो सकती जब तक कि लोगों के पारम्परिक लोक माध्यम को उसमें शामिल ना किये जाय, गांवों के देश में संचार के लिए पारम्परिक लोक माध्यम सकारात्मक गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं।''[20]
  ग्राम विकास में पारम्परिक लोक माध्यम के योगदान के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण हैः–

1. लोक कलाओं का ताना–बाना ग्रामीण समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक धागों से बुना होता है। इनके द्वारा अशिक्षित लोगों में भी व्यवहार परिवर्तन के लिए संदेश प्रभावशाली ढंग से दिया जाता है।
2. पारम्परिक लोक नाट्य द्वारा दर्शकों से संवादों द्वारा आमने–सामने की बातचीत होती है। संदेश देने वाले कलाकार प्रभावशाली संचार के लिए दर्शकों की रुचि के अनुसार अपने संचार प्रक्रिया में अतिशीघ्र परिवर्तन कर लेते है।
3. दर्शकों और श्रोताओं के बीच प्रस्तुत किये जाने वाले लोक गीतों, नृत्य एवं नाटकों में उनकी सहभागिता होती है। इस कारणवश संदेशों द्वारा उनके व्यवहार परिवर्तन की राह आसान हो जाती है।
4. पारम्परिक लोक माध्यमों में स्थानीय रीति रिवाज शामिल होते है। इसलिए लोगों को इन माध्यमों में अपनापन महसूस होता है।

पारम्परिक लोक माध्यम अधिक आत्म विश्वास पैदा करके परिवर्तन के लिए प्रेरणा प्रदान करते है, क्योकि इसमें ग्रामीण समाज के सांस्कृतिक ढांचे के अन्तर्गत ही संप्रेक्षण किया जाता है।[21]

- **रामशरण जोशी, 'मीडिया विमर्श', अनामिका प्रकाशन, 2016।** इस अध्ययन में जोशी ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में टेलीविजन के योगदान को रेखांकित करते हुए उसके सार्थक उपयोग के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। विकास के संदर्भ में भारत में टेलीविजन की शुरुआत सूचना प्रधान एवं शैक्षिक कार्यक्रमों से हुई। ग्राम विकास में टेलीविजन माध्यम के योगदान के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है[22] –

---

[18] यूनेस्को रिपोर्ट, 2012
[19] तिवारी, अर्जुन, जनसंचार और पत्रकारिता, विजया प्रकाशन, दिल्ली, 2016, पृ. 145
[20] मैकब्राइड, मीडिया एण्ड फोक मीडियम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन, 2016, पृ. 124
[21] मैकब्राइड, मीडिया एण्ड फोक मीडियम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन, 2016, पृ. 154–156
[22] जोशी, रामशरण, मीडिया विमर्श, अनामिका प्रकाशन, दिल्ली, 2016, पृ. 18

1. टेलीविजन आडियो बिजुअल माध्यम होने के कारण जनसंचार के अन्य माध्यमों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है।
2. कहा जाता है ''जो दिखता है वही सच है ''क्योंकि टेलीविजन घटनाओं को दिखाता भी है इसलिए ग्रामीण विकास के क्षेत्र में टेलीविजन विश्वसनीय लगता है।
3- सेटेलाइट एंव सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से कहीं भी घटित होने वाली घटनाओं या सफल गाथाओं को ग्रामीण विकास के संदर्भ में घर बैठे ग्रामवासी देख सकते हैं। ग्रामीण विकास संचार के लिए ग्रामवासियों के व्यवहार परिवर्तन की दिशा में यह एक ठोस कदम है।

ग्रामीण विकास व पंचायत राज की अवधारणा –

ग्रामीण पुनर्निर्माण एवं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से पंचायती राज व्यवस्था एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जो निचले स्तर तक शक्ति एवं सत्ता का विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित करती है इसके माध्यम से प्रत्येक ग्रामवासी, हर वर्ग, हर श्रेणी, हर इकाई निर्णय व नियोजन प्रक्रिया में सहभागिता निभाते है। 1957 में बलवंत राय मेहता अध्ययन दल ने सिफारिश प्रस्तुत की कि ग्रामीण विकास में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया जाये। उनकी सलाह पर राज्यों में पंचायतों के गठन का प्रयास किया गया। 2 अक्टूबर, 1959 में पंचायती राज व्यवस्था के शुभारंभ से लेकर 73वें संविधान संशोधन के पूर्व तक ग्रामीण पुनर्निर्माण, ग्रामीण विकास एवं सत्ता के विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य से इसे प्रारम्भ किया गया था। यद्यपि उसके आशातीत सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आये लेकिन इसके अस्तित्व में आने से ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर व पिछड़े वर्गों को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के माध्यम से शासन का अधिकार मिला।

बलवंत राय मेहता समिति के गठन के एक दशक बाद अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था का मूल्यांकन करके दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने की सिफारिश की। 1985 में राव समिति ने भी पंचायतों को सफल बनाने के लिये अनेक सिफारिश कीं। उसके एक वर्ष पश्चात् 1986 में प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ एम.एल. सिंघवी ने पंचायतों को संविधान के नौवें हिस्से में रखने की अनुशंसा की। जिसके लिये संविधान संशोधन आवश्यक था। इस तरह दिसम्बर, 1992 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति की जाँच के बाद पारित हुआ, जो 24 अप्रैल, 1992 के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद अधिनियम बना। इस अधिनियम के बाद सभी राज्यों ने अपने पंचायती राज अधिनियम कानून में संशोधन किये।

24 अप्रैल, 2006 को संविधान संशोधन अधिनियम बने हुए लगभग 14 वर्ष पूरे हो गये। इन वर्षों में नई पंचायती राज व्यवस्था में कमजोर व पिछड़े वर्गों के साथ महिलाओं के लिये आरक्षण का प्रावधान किया गया ताकि हर ग्राम में उनका विकास के लिये जनप्रतिनिधित्व वे स्वयं कर सकें। योजना के निर्माण व क्रियान्वयन में महिला पंचों, सरपंचों, प्रधान व जिला प्रमुख तक तथा पंचायत समितियों व जिला परिषदों के निदेशक मण्डल के संदस्य (डायरेक्टर) पद तक सीधे निर्वाचन के माध्यम से काम करने का भरपूर अवसर दिया गया है इन 14 वर्षों में नई पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के विभिन्न अनुभव सामने आये है इन्हीं अनुभवों के आधार पर संविधान के अन्य भागों में आगे क्या–क्या संशोधन किये जाते रहै कि पंचायतों के माध्यम से विकेन्द्रित शासन अधिक सशक्त बन सके।

ग्रामीण समाज में सत्ता को निचले स्तर तक ले जाने व विकास प्रक्रिया में सबकी भागीदारी तय करने के लिये उपरोक्त प्रशासनिक व संगठनात्मक ढाँचा पंचायती राज व्यवस्था की सुदृढ़ता को स्पष्ट करता है।

जिला परिषद से पंचायत स्तर तक प्रशासनिक संगठनात्मक का स्वरूप देखना आवश्यक है जिसे चित्र के माध्यम से अवलोकित किया जा सकता है

चित्र 1

जिला परिषद स्तर

प्रमुख / उप प्रमुख / निर्वाचित सदस्य / स्थाई समितियां

प्रशासनिक ढाँचा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन सचिव, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण

सहायक अभियंता (सामुदायिक विकास)	लेखाधिकारी सहायक लेखाधिकारी	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी	सहायक सचिव

पंचायत समिति स्तर

प्रधान / उप प्रधान / निर्वाचित सदस्य / स्थाई समितियां

विकास अधिकारी

प्रसार अधिकारी (सहकारिता, शिक्षा, खादी एवं कनिष्ठ अभियन्ता)

ग्राम पंचायत स्तर

सरपंच / उपसरपंच / निर्वाचित पंच — ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव

ग्राम पंचायत

पंचायतों के अधिकार व शक्तियां –

नियोजन, पंचवर्षीय योजनाओं एवं केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा संचालित ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों के लम्बे समय से कार्यकारी एजेंसी के रूप में कार्य करने के बावजूद कई क्षेत्र ग्रामीण विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए है। समाज में कमजोर व पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं की गांधी जी की 'स्वराज की कल्पना' के अनुरूप सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता महसूस की गई। फलस्वरूप व्यापक आधारों वाले 73वें संविधान संशोधन को लागू किया गया। इस कानून के बाद 1994–95, वर्ष 2000 व वर्ष 2005 में तीन बार पंचायतों के चुनाव हो चुके है तथा विधेयक की भावना भी स्थायी हो चुकी है इन चुनावों में सशक्तीकरण के महत्वपूर्ण पथ के रूप में पहली बार 33 प्रतिशत महिलाएँ निर्वाचित होकर राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी बनी है। उनकी भागीदारी बदलती हुई भूमिकाओं का परिचायक है।

संविधान की धारा 243(छ) में पंचायतों के अधिकार और शक्तियों का उल्लेख किया गया है इस धारा के अनुसार राज्य का विधान मण्डल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्है स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बना सके और ऐसी विधि की पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी इनमें विनिर्दिष्ट की जाये निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में शक्तियाँ और दायित्व न्यायगत करने के लिये उपबन्ध किये जा सकेंगे –

(क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिये रोजगार योजनाएं तैयार करना।

(ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं को कार्यान्वित करना जो उन्है सौंपी जाये। उसके अन्तर्गत वे स्कीमें भी हों जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के सम्बन्ध में है।

राज्यों के विधान मण्डलों ने इस प्रावधान को गंभीरता से नहीं किया है जिसका परिणाम यह हुआ है कि पंचायतों ने कार्य तथा शक्तियों के नाम पर औपचारिकता निभाई है पंचायत के तीनों स्तरों के कार्यों को अच्छी तरह परिभाषित, सूचीबद्ध नहीं किया गया है इसका मुख्य कारण है – ग्यारहवीं अनुसूची, जो संविधान में जोड़ी गई है उसी में अच्छी तरह परिभाषित नहीं है कि पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर क्या–क्या कार्य रहैगे। इस धारा से पंचायतों के कार्यकलापों का स्पष्ट पता नहीं चलता। इसके अतिरिक्त ग्यारहवीं अनुसूची में से जो 29 विषय सूचीबद्ध किये गये है वे संविधान की सातवीं अनुसूची से लिये गये है जिन्है सातवीं अनुसूची में से नहीं हटाने के कारण भ्रम पैदा हुआ है

ग्यारहवीं अनुसूची को समाप्त करके संविधान में की गई केन्द्रीय, राज्य तथा समवर्ती सूचियों में से 5 अनुसूचियां समरूपता के लिये बनानी चाहिये –

(1) पूर्णतः केन्द्र सरकार के लिये,

(2) पूर्णतः राज्य सरकार के लिये,

(3) केन्द्र तथा राज्य सरकारों के लिये समवर्ती,

(4) पूर्णतः पंचायत के लिये,

(5) राज्य सरकार तथा पंचायत के लिये समवर्ती चौथी अनुसूची जो पंचायतों के लिये है, उसे पुनः पंचायतों के तीनों या दो स्तरों पर राज्य की स्थिति के अनुसार तीन या दो सूचियों में उन स्तरों की क्षमता को ध्यान में रखकर वर्गीकृत करने और इसके लिये संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है।

पंचायत सर्विस केडर की स्थापना –

पंचायतों के पास कार्यों का सम्पादन करने के लिये अपने अधिकारी तथा कर्मचारी होना भी आवश्यक है विभिन्न राज्यों के अनुभव बताते है कि पंचायती राज व्यवस्था के असफल होने का एक महत्वपूर्ण कारण उनके अपने कर्मचारियों का न होना है 73वें संविधान संशोधन ने राज्यों को यह उपयुक्त अवसर प्रदान किया था जिसका प्रयोग करके राज्य पंचायतों से सम्बन्धित सर्विस केडर की रूपरेखा बनाये और जिन राज्यों में ऐसा प्रावधान है उनको अच्छी तरह लागू करे। लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं है इसलिये पंचायत सर्विस केडर के बारे में संविधान में ही प्रावधान करने की आवश्यकता है

ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता –

संविधान संशोधन में पंचायतों को स्वायत्त शासन की संस्थाएँ कहा गया है पंचायतों को स्वायत्त शासन की संस्थाएँ बनाने के लिये कार्यात्मक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता होनी जरूरी है स्वायत्तता की दृष्टि से पंचायतों को इसके लिये राज्य वित्त आयोगों का गठन कर अधिकार दिया गया है इसलिये सभी राज्य सरकारों ने इसका गठन कर दिया है अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि केन्द्रीय वित्त आयोग पंचायतों के संसाधनों के बढ़ाने के उपायों को देखेगा केन्द्रीय वित्त आयोग जो इस समय कार्यरत है उसकी सिफारिशों को लागू करने का समय वर्ष 2001 से प्रारम्भ हुआ है अतः इसके परिणाम सामने आने बाकी है लेकिन राज्य वित्त आयोगों का गठन अनेक राज्यों में अभी तक भी नहीं किया गया है

पंचायतों के झगड़ों के निपटारे हेतु न्यायिक ट्रिब्यूनल की स्थापना –

एल.एम. सिंघवी की रिपोर्ट ने पंचायतों को संविधान का अंग बनाने की सिफारिशों के साथ पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये कई महत्वपूर्ण सुझाव पंचायतों के झगड़ों के लिये न्यायिक ट्रिब्यूनल गठित करने के बारे में था। जिसे अमल में लाने की आवश्यकता है इस समय सारे देश में लगभग 34 लाख चुने गये प्रतिनिधि पंचायतों के सदस्य है जिनमें से 33 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों का है अतः इनके आपस में मामले निपटारे के लिये संविधान के भाग 14–ए में पंचायत ट्रिब्यूनल का प्रावधान होना जरूरी था जिसके लिये संविधान संशोधन आवश्यक है कमजोर वर्गों, पिछड़े व महिलाओं को त्वरित व समान न्याय के लिये भी न्यायिक ट्रिब्यूनल आवश्यक है।

ग्राम सभा की भूमिका –

पंचायती राज संस्थाओं की मात्र केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करने वाली संस्थाओं के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिये बल्कि निचले स्तर पर ग्राम सभा में विकास के प्रस्तावों के आधार पर सक्रिय भागीदारी के जरिये नीचे से उभरने वाली विस्तृत योजना ही स्वशासन का आधार होना चाहिये। ग्राम पंचायत एक औपचारिक ढाँचा है जिसमें निर्वाचित सदस्य शामिल किये जाते है जबकि ग्राम सभा जन निकाय है जिसमें लोगों की सीधी भागीदारी है ग्राम सभा की भूमिका व प्रतिनिधित्व सभी वर्गों व इकाईयों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है चित्र 4.2 से ग्राम सभा की ग्रामीण विकास में भूमिका को अवलोकित किया जा सकता है –

ग्राम सभा की भूमिका

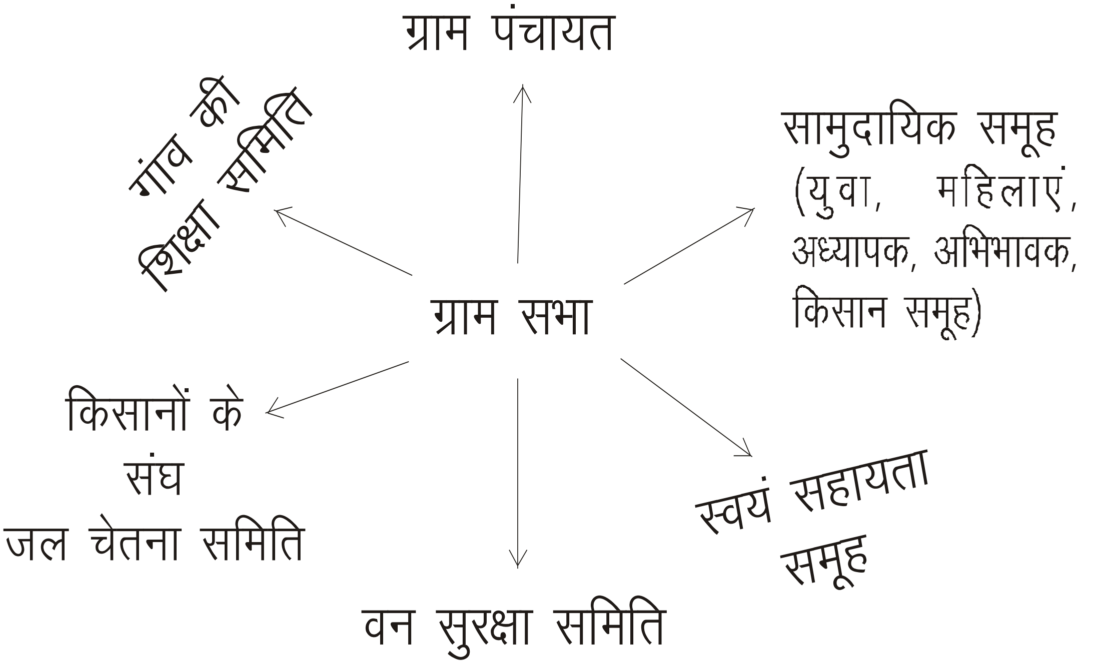

प्रस्तुत चित्र से स्पष्ट है कि गांव में प्राथमिक स्तर से लेकर अन्तिम स्तर तक की कार्य योजनाएँ निर्माण व क्रियान्वयन में ग्राम सभा सक्षम है यह एक समग्र गांव का प्रतिनिधित्वपूर्ण निकाय है जो जन भागीदारी को स्पष्ट करता है

ग्राम सभा में सहभागिता का आधार –

(1) ग्राम सभा जन योजनाओं की रूपरेखा तैयार कर सकती है

(2) मुद्दों और समस्याओं की पहचान कर उन पर निर्णय ले सकती है

(3) विकास की प्राथमिकताएँ तय कर उन्है परिषद या विभाग द्वारा क्रियान्वित करवा सकती है।

(4) निर्वाचित निकाय को सकारात्मक सहयोग देकर उनके कार्य निर्वाह पर निगरानी रखकर उन्है फीड बैक दे सकती है

पंचायती राज संस्थानों के औपचारिक ढाँचे में आदिवासियों, दलितों और महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है उनमें भी दलित व पिछड़े वर्गों की महिलाओं की स्थिति अत्यन्त निराशाजनक है ग्राम सभा के माध्यम से आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित कर उन्है विकास की दिशा में मोड़ा जा सकता है

ग्राम सभा में भागीदारी से लाभ –

(1) ग्राम स्तर पर निर्णय लेना महत्वपूर्ण है, उस पर महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में अंशतः ही शामिल किया जाता है अतः ग्राम सभा में निर्णय लेने में बदलाव की एक प्रक्रिया होगी।

(2) ग्राम सभाएँ निर्णय लेने में सहभागिता लायेंगी जो कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का मूल आधार है

(3) सक्रिय और जिम्मेदार नागरिकता की नींव मजबूत होगी।

(4) अधिकारों का दावा करने और उन्है हाथ में लेने का सिलसिला जारी हो जायेगा।

(5) ग्राम में उपलब्ध संसाधनों के प्रबन्ध की क्षमता बनेगी।

(6) ग्राम सभा में भागीदारी बढ़ने से लोगों तक जानकारी आसानी से पहुँच सकेगी। विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों व वर्गों के बीच जहाँ संचार सुविधाएं न्यूनतम है महिलाओं को भी अनिवार्यतः भागीदारी में शामिल करना होगा।

(7) विकास कार्यों में पारदर्शिता आयेगी।

(8) स्वशासन प्रक्रिया में लोगों की जवाबदेही बनेगी।

ग्राम सभा के प्रभावी न हो पाने के कारण –

(1) लोगों को ग्राम सभा के महत्व की जानकारी नहीं दी गयी। इस बारे में अपेक्षित जागरूकता पैदा नहीं की गयी।

(2) सरपंच, ग्राम सभा को संगठित करने के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे है

(3) पंचायत के अधिकांश पदाधिकारी कागजी काम से ही संतुष्ट हो जाते है अर्थात् मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं है

(4) अनेक स्थानों पर सरपंच ग्राम सभा की बैठकों में लोगों से मिलने में कतराते है क्योंकि वे विकास गतिविधियों की जानकारी नहीं देना चाहते और चर्चा तथा निर्णय लेने में लोगों की सहभागिता बनाने की कोशिश नहीं करते है।

(5) ग्राम सभा कोई शक्तिशाली निकाय नहीं है कई जगह ग्राम सभा द्वारा सुझाई गई योजनाओं को ऊपर के निकाय से कोई सहयोग व समर्थन प्राप्त नहीं होता। इससे काफी विभ्रम तथा परेशानी पैदा हो जाती है

ग्राम सभा के स्तर पर निगरानी करना –

(1) पूरे कोरम के साथ ग्राम सभा की बैठकों की संख्या

(2) ग्राम योजना बनाने, जरूरतों, समस्याओं की पहचान समाधान के विश्लेषण में शामिल की जानी चाहिये।

(3) ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों का चयन खुली प्रक्रिया द्वारा किया गया अथवा उन पर ऊपर से थोपा गया है

(4) ग्राम सभा योजना का क्रियान्वयन स्वयं करती है अथवा समिति ठेकेदार से करवाती है

(5) ग्राम सभा अनुदानों के समुचित उपयोग पर निगरानी रखती है

(6) ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा को खातों की रिपोर्ट उन्है निर्धारित समय में सौंपती है अथवा नहीं।

(7) ग्राम सभा में महिलाओं की सहभागिता का प्रतिशत कितना है

(8) योजना बनाने की प्रक्रिया में महिला ग्राम सभा के सदस्यों का योगदान है या नहीं।

शोध उद्देश्य

- पंचायती राज और ग्रामीण विकास में मीडिया की भूमिका का मूल्यांकन करना।
- पंचायती राज और ग्राम पंचायतों के विकास में लोगों की स्थिति को जानना व जनसामान्य की समस्याओं को समझना।
- पंचायती राज और ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रचार–प्रसार में मीडिया की भूमिका का मूल्यांकन।
- पंचायती राज और जन सामान्य में मनोंरंजन के साधन के रूप में सामुदायिक रेडियों , रेडियों व टेलीविजन के प्रभाव का आंकलन करना।
- पंचायती राज और ग्रामीण परिवेश में रेडियो, टीवी व अखबार सूचना संग्रहण का एक मात्र प्रमाणिक साधन है। उपर्युक्त व्यक्तव्य की समाचार पत्र व टेलीविजन से तुलना करना।
- सामाजिक चेतना, राजनीतिक जागरूकता, मानवाधिकार व स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध करने वाला सस्ता व सुलभ साधन रेडियो व अखबार की आज के भौतिकवादी युग में प्रासंगिकता को जांचना।

परिकल्पना

- H_{01}: टेलीविजन, अखबार, रेडियों आज भी ग्रामीण राजस्थान में जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन नहीं है।

- H_{11}:टेलीविजन, अखबार, रेडियों आज भी ग्रामीण राजस्थान में जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है।
- H_{02}:सस्ता व सर्व सुलभ होने से मीडिया की भूमिका ग्रामीण क्षेत्रों में सूचनात्मक व रचनात्मक रूप से बढी नही है।
- H_{12}:सस्ता व सर्व सुलभ होने से मीडिया की भूमिका ग्रामीण क्षेत्रों में सूचनात्मक व रचनात्मक रूप से बढी है।
- H_{03}:पंचायत राज के विकास में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका नही है।
- H_{13}:पंचायत राज के विकास में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है।
- H_{04}:मीडिया के माध्यम से केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी लोगों को हुई नही है।
- H_{14}:मीडिया के माध्यम से केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी लोगों को हुई है।

शोध क्षेत्र

प्रस्तावित शोध के लिए राजस्थान राज्य के जयपुर जिले का चयन किया गया है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है जो संपूर्ण देश के क्षेत्रफल का 10.41 प्रतिशत है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सातवां स्थान है।

2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 68,548,437 है। जिसमें 51,500,352 अर्थात् 75.1 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में तथा 17,048,085 अर्थात् 24.9 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती है। शहरी पुरूष जनसंख्या 8,909,250 अर्थात् 25.1 प्रतिशत तथा शहरी महिला जनसंख्या 8,138,835 अर्थात् 24.7 प्रतिशत है। ग्रामीण पुरूष जनसंख्या 26,641,747 अर्थात् 74.9 प्रतिशत एवं ग्रामीण महिला जनसंख्या 24,858,605 अर्थात् 75.3 प्रतिशत है। राजस्थान की साक्षरता प्रतिशत 67.06 है। पुरूष साक्षरता 80.51 तथा महिला साक्षरता 52.66 प्रतिशत है।

निदर्शन व शोध उपकरण

अदैव निदर्शन द्वारा 800 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण पत्रकारों, प्रधानों, आशा एवं आंगनबाड़ी वर्करों, आईईसी कॉर्डिनेटर्स एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान के कर्मचारियों का उद्देश्यपरक निदर्शन किया गया है। राजस्थान में प्रधान 295, बीडीओ 295 का चयन किया गया है। इसमें 100 इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकर्मियों तथा 100 प्रिंट मीडियाकर्मियों के अतिरिक्त 100 आशा और आंगनबाडी कार्यकर्त्ताओं का चयन किया गया है। द्वितीयक तथ्यों के चयन के लिए सरकारी विभागों, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्रों के कार्यालयों से सूचना संग्रहित की गई है।

अध्याय विन्यास

1. ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था

2. मीडिया : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

3. सामाजिक नवनिर्माण में मीडिया की भूमिका

4. पंचायती राज व्यवस्था में मीडिया की भूमिका

5. मीडिया का दुष्प्रभाव तथा सुधार के प्रयास

6. उपसंहार

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. आर्या, साधना, वीमेन जेन्डर इक्विलिटी एण्ड द स्टेट, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली 2000।

2. बर्थवाल, चन्द्रप्रकाश, स्थानीय प्रशासन, सुलभ प्रकाशन, लखनऊ, 2005।

3. बख्शी,एस.आर. एमपावरमेंट ऑफ विमैन, एंड पॉलिटिक्स ऑफ रिर्जवेशन, बुक एनक्लेव, जयपुर, 2004।

4. बलसारा, जे.एम. प्रोब्लम्स ऑफ रैपिड अर्बनाईजेशन इन इण्डिया पापुलर प्रकाशन, बाम्बे, 2001।

5. बासु, अर्पणा एंड रे, भारती वीमेन्स स्ट्रगलः ए हिस्ट्री ऑफ ऑल इण्डिया वीमैन्स कॉनफ्रेन्स, 1917 – 1990, मनोहर प्रकाशन, नई दिल्ली, 1991।

6. चोपरा, जे.के. वूमैन इन द इण्डियन पॉर्लियामेन्ट (ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ देयर रोल), मित्तल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1995।

7. डी. लाइमा, हजैल, वूमैन इन लोकल गवर्नमेंट, ए स्टडी ऑफ महाराष्ट्रा, कोन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली, 1991।

8. देसाई, नीरा, वीमैन इन मॉर्डन इण्डिया, वोरा एंड को. बाम्बे, 2002।

9. धारीवाल,एस.एस., नगरीय प्रशासन, दीप एंड दीप पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2005।

10. ग्रांट, जूडिथ, फंडामेंटल फैमिनिज्म कनटैस्टिंग द कोर, कॉनसेप्ट ऑफ फैमनिस्ट थ्योरी रायटलैज, न्यूर्याक, 1977।

11. घोष, एस.के. वीमैन इन चेंजिंग सोसायटी, आशीष पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1995।

12. गुप्ता, ए.के., एमपावरिंग वीमैन, अभिषेक पब्लिकेशन्स, चंढीगढ, 1990।

13. कपूर, प्रमिला, मैरिज एंड वर्किंग वीमैन इन इण्डिया, विकास पब्लिशर्स, दिल्ली, 1994।

14. गोयल, एस.एल.एस.एस. धारीवाल, अरबन डवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, दीप एंड दीप पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2001।

15. जाना,एम. एवर्ट, वीमैन एंड सोशल चेंज इन इंडिया, हैरीटेज।

16. खन्ना, गिरिजा एंड मरियम्मा, ए वर्गीज इंडियन वीमैन टूडे विकास, दिल्ली, 1987।

17. मजूमदार, वीना, सिंबल्स ऑफ वीमैन इन इंडिया, एलाइड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 1993।

18. मित्रा, ज्योति, वूमैन एंड सोसाइटी, इक्वेलिटी एंड एमपावरमेंट, कनिष्का पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 1999।

19. मूर्ती, एस. वूमैल एंड एम्प्लोयमेंट, आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स, जयपुर।

20. द पोलिटी रीडर इन जेंडर स्टडीज, एडिटेड वर्क : ब्लैक वैल पब्लिशर्स पोलिटी प्रेस, केम्ब्रिज यू.के., 1984।

21. शुभा के. वीमेन इन लोकल गर्वनेंस, आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स, जयपुर।

22. शर्मा, सी.एल. अरबन कम्युनिटीज पॉवर स्ट्रक्चर, शिवा पब्लिकेशन्स, उदयपुर।

23. सिंह, यू. वी. अरबन लोकल गवर्नमेंट, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर एंड नई दिल्ली, 1997।

24. सहाय, सुषमा, वीमैन एमपावरमेंट डिस्कवरी एपरोचेज एंड स्ट्रेटजी पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।

25. सिसोदिया, यतेन्द्र सिंह, पंचायत राज एवं अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर एंड नई दिल्ली, 1996।

26. सिंह, बामेश्वर, भारत में स्थानीय स्वशासन, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

27. सिंघी, एन. के., समाजशास्त्रीय सिद्धांत, विवेचन एवं व्याख्या।

28. शर्मा, सी. एल. अरबन कम्युनिटीज पॉवर स्ट्रक्चर, शिवा पब्लिकेशन्स, उदयपुर।

29. शर्मा, अशोक, भारत में स्थानीय प्रशासन, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स।

30. शिव राम कृष्णन, के.सी. विपलव दास गुप्ता बंच, एम. एन.(अर्बनाइजेशन इन इंडिया) बेसिक सर्विस एंड पीपुल पार्टीसिपेशन, कॉनसेप्ट पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

31. ठक्कर, एन.एच. म्युनिसपल फाइनेंस एंड अरबन डवलपमेंट, सिविक अफेयर्स।

32. विद्या, के.सी. पॉलिटिकल एमपॉवरमेंट ऑफ वूमैन एट द ग्रासरूट्स, कनिष्का पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 1996।

33. व्हाइट, मार्टिन., ''क्रॉस कल्चर कोड्स डिलिंग विथ द रिलेटिव स्टेटस ऑफ विमिन,'' एन्थ्रोपॉलॉजी,17 (1978):217

34. नसबॉम, मार्था., ''इंट्रोडक्शन,'' इन मार्था एंड जॉनाथन ग्लोवर, विमिन, कल्चर एंड डवलपमेंटः ए स्टडी ऑफ ह्यूमन कैपेबलिटी (ऑक्सफोर्डः क्लेरेनडन प्रेस,1995), पृ.2, बेस्ड ऑन डाटा फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट(न्यूयार्कः यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम,1993)

35. व्हाइट,''क्रास कल्चर कोड्स,'' एंड डेविड बी. एडम,''व्हाय देअर आर सो फ्यू विमिन वॉरियर'' बिहेवियर साइंस रिसर्च, 18(1983):196–212

36. ब्राउन, ज्यूडिथ., ''ऑर्गेनाइजेशन एंड द पोजिशन ऑफ विमिन अमंग द इराक्यूइस,'' एथनोहिस्ट्री, 17(1970): 151–67

37. संडे, पेग्गी., ''फीमेल स्टेटस इन द पब्लिक डोमेंन'' स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, स्टेनफोर्ड,1974

38. क्वैनन, नौमी., ''एन्थ्रोपॉलॉजीकल स्टडीज ऑन विमिन्स स्टेटस,'' एनुअल रिव्यू ऑफ एन्थ्रोपॉलॉजी.,6 1977,189–90

39. ग्राहम, सुसान., ''बायोलॉजी एंड ह्यूमन सोशल बिहेवियर,'' अमेरिकन एन्थ्रोपॉलॉजिस्ट,1979,357–60

40. वरनर, डेनिस., ''चीफस् एंड प्रसिडेंट,'' न्यूयार्क, मैकमिलन, 1974

41. डापर, पेट्रिका., ''कुंग वीमिन,'' न्यूयार्क, मंथली रिव्यू प्रेस, 1975, पृ. 103

42. वरनर, डेनिस., ''चाइल्ड केयर एंड इंफ्लूएंस एमंग द मैक्रोनटी ऑफ सेन्ट्रल ब्राजील,'' सेक्स रोल्स, 1984

43. रॉस,मार्क., ''फीमेल पॉलीटिकल पार्टिसिपेशन,'' अमेरिकन एन्थ्रोपॉलॉजिस्ट, 1986

44. मार्टिन, ''फीमेल ऑफ द स्पीशिज,'' न्यूयार्क, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 1975

45. बेगलर,ऐलसी., ''सेक्स, स्टेटस एंड ऑथोरिटी,'' अमेंरिकन एन्थ्रोपॉलॉजिस्ट, 1978

46. व्हाइट, ''द स्टेटस ऑफ वीमिन इन प्रीइंडस्ट्रीयल सोसायटी,'' प्रीस्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, प्रीस्टन, 1978

47. रॉस, मार्क., ''फीमेल पॉलीटिकल पार्टिसिपेशन,'' अमेरिकन एन्थ्रोपॉलॉजिस्ट, 1986

48. मिलर, ब्रूस., ''वीमिन एंड पॉलीटिक्स,'' अमेंरिकन एन्थ्रोपॉलॉजिस्ट, 1992

49. रॉस, मार्क., ''पॉलीटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलीटिकल पार्टिसिपेशन,'' एन.जें., प्रीस्टन हॉल, 1998

50. एम्बर, करोल., एम्बर, मेलविन., ''पीस बिटविन पार्टिसिपेटरी पॉलीटिज,'' एन.जें., प्रीस्टन हॉल, 1992

51. क्रेके, वॉड., ''फोर्स एंड प्रेसुएशन,'' शिकागों यूनिवर्सिटी प्रेस, शिकागों, 1979

52. शेलिन्स., ''पूअर मैन, रिच मैन, बिग मैन चीफ,'' शिकागों यूनिवर्सिटी प्रेस, शिकागों, 1997

53. लेडरमैन, रेना., ''बिग मैन, लार्ज एंड स्माल,'' एथनोलॉजी, 1990

54. ब्रेंडेवी, अरनेस्ट., ''द प्लेस ऑफ द बिग मैन इन ट्रेडिशनल हगेन सोसायटी,'' पीत्सुबर्ग यूनिवर्सिटी प्रेस, पीत्सुबर्ग, 1991

55. लेपोवस्की, मारिया., बिग मैन, बिग वीमिन एंड कल्चरल एंथ्रोपॉलॉजी, एथनोलॉजी, 1990

56. नेशनल पर्सपेक्टिव प्लॉन फॉर वीमिन, रिपोर्ट, 2000

57. बीजिंग विश्व सम्मेलन, रिपोर्ट,1995

58. सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू. रिपोर्ट, 1979

प्रतिवेदन

1. डिपार्टमेंट फोर इंटरनेशनल डवलपमेंट

2. फोर्थ वर्ल्ड कॉनफ्रेन्स ऑन वीमेन, बीजिंग 1995 (जी. ओ. आई), पेज.न. 38

3. जी. ओ. आई. प्लानिंग कमीशन, रिर्पोट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन ब्लॉक लेवल प्लानिंग, 1978 पी. पी. 139 – 140

4. प्रगति (जयपुर नगर निगम) दिसम्बर, 1994; मार्च, 1999

5. स्टेटस ऑफ वीमेन एंड फैमिली प्लानिंग (सी. सी. नं. 6/5/75 रैंक नं. ई 75/वी 5/1975)

6. शुभा के एंड, बी.एस. भार्गव, 74 कोन्सटीट्यूशनल अमेंडमेंट एंड दी सेन्ट्रलाइजेशन ऑफ अरबन गर्वनेंस इन कर्नाटक, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, नई दिल्ली (अनपब्लिशन्स रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट)

7. '' टूवर्डस इक्विलिटी '' रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन द स्टेट्स ऑफ वीमेन पी. 6

8. अरबन इंडिया 19, नं. 1,1999 सेवन्टी फोर्थ कोन्सीट्यूशनल अमेंडमेंट एंड पॉलीटिकल एमपावरमेंट ऑफ वीमेन इन पंजाब ए स्टडी इन अरबन गर्वनेस, पी.पी. 56 – 58

9. वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर, 2001 – 2002

पत्र – पत्रिकाएं

1. बोस, आशीष, 'अरबन डवलपमेंट विथ सोशल जस्टिस' इकानोमिक एंड पॉलीटिकल वीकली,5 (29–31), 147 – 149

2. भार्गव, बी.एस. एंड शुभा, के., ''म्युनिसपल कोरपोरेशन इन कर्नाटक – ए स्टडी ऑफ बैंगलोर म्युनिसपल कॉरपोरेशन'' (क्वार्टली जनरल ऑफ लोकल सेल्फ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट) बोम्बे; आर.एस., अप्रेल – जून 1985

3. इकानॉमिक एंड पॉलीटिकल वीकली, अंक 38, अप्रेल 26 मई 2 ए समीक्षा ट्रस्ट पब्लिकशन।

4. गौतम, आर. एस., मध्य प्रदेश जनरल ऑफ सोशल साइंसेज, अंक 6, जनवरी – जून 2001 नं. 1

5. राजस्थान राजपत्र, मई 2, 1994

6. शैटलर, अंक 3, नं. 4, अक्टूबर 2000

7. सोशल वैलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन

8. वीरा, धर्म, ''सिटीजन पार्टीसिपेशन'' इन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क, अंक 1

अन्य पाठ्य सामग्री

1. गुप्ता,दीपांकर; पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इन इंडिया, ओरिएंट लोगमैन, 2000

2. भारद्वाज,प्रेम; जेन्डर,डिस्क्राइमिनेशन,पॉलिटिक्स ऑफ विमिन एमपॉवरमेंट, अनामिका पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2001.

3. सेल्युएम, एस; एमपॉवरमेंट एंड सोशिल डेवलपमेंट इश्यू इन कम्यूनिटी पॉर्टिसिपेशन, कनिष्का पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2003

4. हटकन, द पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट मार्डनिज्म, राउटलेज, लंदन, 1998

5. रोजेमबर्ग, द पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वर्सो, यू.के. 1999

6. महापत्र, सुभाष; डेवलपमेंट ऑफ विमिन चैलेंजस् एंड रिस्पोंस, सागे और पिन फोर्ज प्रेस, लंदन, 2000

7. बंदोपाध्याय, डी. और मुखर्जी, अनिता; एमपॉवरिंग विमिन पंचायत मेम्बरर्स, राजीव गाँधी फाउंडेशन, नई दिल्ली, 2001

8. शेट्टी,ई., मूर्ति, पी.कृष्णन्; विमिन एमपॉवरमेंट, अनमोल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2002

9. वर्मा, एन. के., मिडिया एंड विमिन, मोहित पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1999

10. आर्नल्ड मैथ्यू; कल्चर एण्ड एनार्की, सं. डी.विल्सन, लंदन, रूटलेज एण्ड केगन पाल, 1960

11. अल्थूसर,लुई; आइडियोलॉजी एण्ड आइडियोलॉजिकल स्टेट आपरेटसेज, लेनिन एण्ड फिलॉसफी, लंदन, एन.एल.बी. में संकलित, 1971

12. अमर्त्य सेन; सोशियलिज्म मार्केट्स एण्ड डिमाक्रेसी, दि इण्डियन इकोनॉमिक जर्नल, खण्ड 37, अंक 4, अप्रेल–जून, 1990

13. धर्मपाल; द ब्यूटीफुल ट्री, नई दिल्ली, बिब्लियास इंप्लेक्स, 1981

14. प्रसाद, किरण; विमिन ग्लोबलाइजेशन एंड मास मिडिया, द विमिन प्रेस, नई दिल्ली,2007